लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील संख्या – 5/2025
जी.सी.एम.एस. सं. 2025/29

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री मो. साहेब खां, निवासी 33 ए, इन्दिरा कोलोनी, बांसवाडा मो.नं. 9785122855	बनाम	तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– **19–03–2025**

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **26–12–2024** पर **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)** द्वारा सूचना उपलब्ध कराने पर प्राप्त सूचना से असन्तुष्ट होने के कारण अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **27–02–2025** को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने दिनांक **12–03–2025** को उपस्थित होने सूचित किया गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:51:27 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक **12–03–2025** को प्रत्यर्थी **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)** ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में **ग्राम रोहिडा पटवार मण्डल रोहिडा के नामांतकरण संख्या 1323, 1343 एवं 1367** की सम्पूर्ण पत्रावलियों की प्रमाणित नकल उपलब्ध करने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। जिसमें प्रार्थी को तहसील कार्यालय गढी में उपलब्ध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ / 2024 / 803 दिनांक 30.01.2025 **(कुल पेज 11)** उपलब्ध करवा दी गयी है। इनके अतिरिक्त इस कार्यालय में उक्त सूचना से सम्बन्धित किसी प्रकार से दस्तावेज देना शेष नही है।

अपीलार्थी की ओर से दिनांक 12.03.2025 को उपस्थित होकर लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढी द्वारा अपूर्ण सूचना दी गई। मुझ प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना एवं प्राप्त की गई सूचना आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओ के अनुरुप नही थी काफी अन्तर था। बिन्दुवार सूचना दिये जाने की आज्ञा फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)** के जवाब एव उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)** से सूचना

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:41:27 IST
Reason: SelfAttested

चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **26–12–2024** से 4 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) तहसील गढी बांसवाडा (राज.)** द्वारा उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ/ 2024/ 803 दिनांक 30.01.2025 **(कुल पेज 11)** से सूचना उपलब्ध करवा दी गयी है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से मौजुद है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **19–03–2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:51:27 IST
Reason: SelfAttested